

6.4.22

पत्रावली जैसा हुई S.B. C.W.P.
 सं. 5819/2006 तथा 5821/2006
 में माननीय उच्च न्यायालय डा.श
 दिनांक 7-5-2014 को निर्णय पारित
 किया जा चुका है, बार-बार आवाज
 लगावा रही है अपीलान्ट या अपीलान्ट
 को डी.ए. से अधीनकार उपस्थित नहीं है।
 पेशकार सरकार उपस्थित। वकील
 अपीलान्ट। स्वयं अपीलान्ट के उपस्थित

जहाँ खेत पर अर्धील अर्धीलान्त अर्धील
हाजरी, अर्धील अर्धील अर्धील अर्धील
जाती है. पत्रावली दर्ज नम्बर से
कम है। बाद तकमील का खिलदफ्तर
है। अर्धील अर्धील अर्धील अर्धील
पत्रावली का पत्र आंशिकी जावे।

२

अर्धील अर्धील अर्धील अर्धील
जयपुर (अर्धील)